**भारत सरकार**

**पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 39**

**05.12.2013 को उत्तर के लिए**

**'दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना'**

**39.** **श्री जय प्रकाश नारायण सिंह:**

**श्री सालिम अन्सारी:**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि हर वर्ष दिवाली के तत्काल पश्चात् प्रदूषण का स्तर बढ ज़ाता है जिसके फलस्वरूप राजधानी धूम कोहरे की घनी परत से ढक जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के प्रमुख कारण बडे़ पैमाने पर पटाखे फोडऩा, पंजाब एवं हरियाणा में धान का पुआल जलाना और दिल्ली में अत्‍यधिक वाहनों का यातायात का होना है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसान देह पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

**पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (ख) जी, हां । दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारण दिल्‍ली की स्थिर वायुमंडलीय दशाओं सहित दीवाली में पटाखे फोड़ना, पड़ोसी राज्यों में धान का पुआल जलाना, वाहनीय यातायात का बढ़ना, उद्योग, भवनों और सड़कों का निर्माण आदि हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने कृषि मंत्रालय के माध्यम से दिसम्बर, 2009 में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों को सलाह जारी की है कि वे किसानों को फसल-अवशेषों को जलाने की परंपरा को रोकने के लिए सलाह दें और इस बारे में उन्‍हें शिक्षित करें। हरियाणा सरकार ने फसल अवशेषों के जलाने को निषित करने हेतु एक अधिसूचना जारी की है । विगत में पंजाब सरकार ने भी फसल-अवशेषों के अंधाधुंध जलाने को रोकने हेतु इस मामले में एक कार्यदल गठित किया था। इसके अतिरिक्त, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाये गये कदमों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, संशोधित परिवेशी वायु मानक को अधिसूचित करना (नवम्बर, 2009), व्यापक अध्ययन के बाद 43 अत्‍यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को चिह्ति करना (दिसम्बर 2009), 17 श्रेणियों के अत्‍यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये सख्त उत्सर्जन मानक अधिसूचित करना, सार्वजनिक यातायात हेतु गैसीय र्इंधन का प्रयोग बढ़ाना, सार्वजनिक यातायात और मेट्रो रेल को सुदृढ़ करना, अंत: शहरी सार्वजनिक यातायात के रूप में लो-फ्लोर वाली बसें चलाना; बीएस-iv मानकों का अनुपालन करने वाली यात्रीकारों की ही बिक्री तथा पंजीयन करना; ऑटो-र्इंधन नीति के अनुसार बीएस-iv/iii मानकों का अनुपालन करने वाले र्इंधन की बिक्री तथा आपूर्ति करना आदि शामिल हैं ।

\*\*\*\*\*